न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,दाउदनगर,औरंगाबाद।

गोह थाना कांड संख्या–145 / 2021

जी0आर0संख्या–678 / 2021

05–08–21 आवेदक अभियुक्तगण देवेन्द्र कुमार, विजेन्द्र यादव, सुकेश यादव की ओर से विद्वान अधिवक्ता विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति पत्र,वकालतनामा,कोविड–19 जांच की प्रति एवं जमानत आवेदन सह आत्मसमर्पण करते हैं। जिसकी प्रति सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दिया गया।

वाद पुकार पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निवेदन करते हैं कि प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान् के न्यायालय में या अन्य किसी भी न्यायालय में अग्रिम या नियमित जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राथमिकी में जैसा वर्णित है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। प्राथमिकी बनावटी है। इस वाद का पलटा वाद भी श्रीमान् के न्यायालय में चल रहा है। प्राथमिकी की सभी धारायें जमानतीय प्रकृति की है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को किसी भी धन राशि के जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के खिलाफ भा0दं0वि0 की धारा 147,149,341,323,504,325 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि लगायी गयी सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सूचक के साथ मामूली मारपीट की घटना प्रतीत होती है। अतः मो0 5000 2 का बंध पत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश मंजूर किया जाता है।

लेखापित

प्र0अनु0न्या0दण्डा0